

Dr. RANJEET KUMAR  
Deptt. of History  
H. D. Jain College, Ara.

①

Notes For - M.A. Sem-III, CC-13, Unit-IV

Topic - 1935 ई० का भारतीय परिषद् अधिनियम :-

" भारत शासन अधिनियम 1935, भारत

में ब्रिटिश द्वारा संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया का लंबा अंतिम प्रक्रिया था। इस अधिनियम का महत्व कई दृष्टियों से था। एक तो इसने भारतीयों को पहली बार प्रशासकीय अनुभव दिए। दूसरे भारतीय संविधान के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और संविधान लागू होने तक इस अधिनियम के प्रावधानों से ही भारत का शासन चलता रहा (1950 तक)।

1935 के अधिनियम द्वारा

जिस शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी उसके मुख्य लक्ष्य निम्न लिखित थे —

- (I) परिसंघ और स्वायत्तता :- (i) इसके पहले के भारत शासन अधिनियम में भारत सरकार ऐकिक थी। किंतु 1935 के अधिनियम में परिसंघ की स्थापना की गई। जिसमें इकाइयों में प्रांति और देशी रिवाजों।
- (ii) देशी रिवाजों के लिए परिसंघ में सम्मिलित होने का विकल्प था।
- (iii) गवर्नर, सचिव की ओर से प्रांत की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करना था। वह नायसय के अधीन नहीं था।
- (iv) गवर्नर से यह अपेक्षा थी कि वह मंत्रियों की सलाह से काम करेगा और मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। किंतु प्रांतीय स्वायत्तता के शर्तों किए जाने पर भी 1935 के अधिनियम में केन्द्रीय सरकार का एक विशेष क्षेत्र में प्रांतों पर निर्भरण बना रहा।

→ (v) कुछ विषयों में गवर्नर से 'स्वविवेकानुसार' कार्य करने की अपेक्षा थी। ऐसे विषयों में गवर्नर मंत्रिमंडल की सलाह के बिना कार्य करता था। ऐसे कार्य गवर्नर जनरल के और उसके माध्यम से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नियंत्रण और निर्देश से होते थे।

(vi) कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था भी थी। ऊपर के सदन को विधान परिषद कहते थे, उतने कुछ सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनित भी किए जाते थे। निम्न सदन विधानसभा कहलाता था।

(vii) इस अधिनियम की एक विशेषता यह थी कि साम्प्रदायिक तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया।

(viii) अधिनियम के मतदाता मंडल 'साम्प्रदायिक विधान' तथा 'पूना समझौते' के अनुसार निश्चित किए गए। इस प्रकार साधारण मुस्लिम, यूरोपीय, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई और सिख गिन-गिन मतदाता बनाए गए।

(2.) केन्द्र में द्वैध शासन:- (i) जिस द्वैध शासन को साइमन आयोग ने प्रांतों में अनांशनीय बताया था, वह केन्द्रीय कार्यकारिणी के लिए निश्चित किया गया।

(ii) संघीय विषयों में से रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, तथा जनजाति क्षेत्र, गवर्नर जनरल के हाल में सुरक्षित रखे गए, जिसका प्रबन्धन वह अधिकाधिक तीन कार्यकारी परिषदों की सहायता से चलाएगा, जो वह स्वयं मनोनित करेगा और जो केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(iii) शेष संघीय विभाग अधिकाधिक 10 मंत्रियों की सहायता से चलाए जाएंगे और ये मंत्री संघीय विभाग मंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(iv) गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 1919 के अधिनियम द्वारा

→ उपरोक्त पुरानी कार्यकारी परिषद् ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक गवर्नर जनरल को सलाह देती रही।

- (3.) संघीय विधान:-
- (i) केन्द्रीय विधानमंडल में दो सदन थे, जो संघीय सभा और राज्य परिषद् से मिलकर बनते थे। संघीय सभा, जिसकी अवधि 5 वर्ष थी, में प्रांतों के 250 सदस्य और रिवाजों के अधिकाधिक 125 सदस्य होते थे। अंग्रेजी प्रांतों के सदस्य, प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुने जाते थे, और रिवाजों के सदस्य, राजाओं द्वारा मनोनित किने जाते थे।
  - (ii) राज्य परिषद् एक एनामी सभा थी और उसके  $\frac{1}{3}$  सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात् चुने जाते थे। इसमें 260 सदस्य होते थे, जिनमें से 156 प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, जिसे संवद् राजाओं को मनोनित करना था।

(4.) केन्द्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण:-

- (i) यद्यपि देवी रिवाजों परिलक्ष्य में सम्मिलित नहीं हुई थी। फिर भी भारत-शासन अधिनियम 1935 के परिलक्ष्य उपबंध केन्द्रीय सरकार और प्रांतों के बीच लागू कर दिए गए।
  - (ii) 1935 के अधिनियम में विधायी शक्तियों को केन्द्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इस अधिनियम में तीन प्रकार का विभाजन किया गया —
- (क) एक परिलक्ष्य सूची थी, जिस पर परिलक्ष्य विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी मामले, करों और मुद्रा, नौ सेना, सेना और वायु सेना, जनगणना जैसे विषय थे।
  - (ख) विषयों की एक प्रांतीय सूची थी, जिस पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी। उदाहरण के लिए, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा इत्यादि।

- (ii) विषयों की एक समन्वय सूची थी, जिस पर परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे।
- (iii) गवर्नर जनरल द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची में प्रगणित विषयों की बाबत विधान बनाने की शक्ति थी।
- (iv) भारत राज्य सन्धि की परिषद् समाप्त कर दी गई और उसे मंत्रणा देने के लिए कुछ परामर्शदाता दे दिए गए, परंतु वह उनका परामर्श केवल सेवाओं के विषय को छोड़कर शेष में मानने को बाध्य नहीं था।

संघ बनाने की योजना को कार्यान्वित

नहीं किया जा सका। फिर भी संघीय बैंक और संघीय न्यायालय, 1935 तथा 1937 में स्थापित कर दिए गए। और प्रांतीय स्वायत्तता 1 April 1937 में अस्तित्व में आई।

1937 में चुनाव हुए, कांग्रेस ने पूरी सक्रियता से भाग लिया और उसे प्रचंड जनसमर्थन प्राप्त हुआ। सरकारें भी गठित हुईं, पर साम्राज्यवादी मंजूरे पूरे नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेसी सत्ता की 'सुविधाओं' से दूर रहे। कांग्रेस के 'प्रांतीयकरण' की उनकी कल्पना भी साकार नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेसी मंत्रिमंडल पर "अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड" और कांग्रेस कार्यकारिणी" का पूरा नियंत्रण था। प्रांतीय सरकारें इनके दिशा-निर्देश और नियंत्रण में काम करती थीं। कांग्रेस ने न तो साम्राज्यवाद से कोई समझौता किया और न ही उसके साम्राज्यवादी विरोधी बरित्त में ही कोई परिवर्तन हुआ।